



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274760
CG-DL-E-24072026-274760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3859]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948

No. 3859]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4029(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट धलाई जिले के चुराईबाड़ी-मुंगियाकामी एनएच-08 के Km 52.232 से 93.5 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्यके धलाई जिला में एनएच-08 के चुराईबाड़ी-मुंगियाकामी सेक्शन से किमी 52.232 से 93.5 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH8 के कि.मी 52.232 से कि.मी 93.5 तक	त्रिपुरा	ढलाई	मनु	1	करतीछारा
						2	जरुलछारा
						3	लोगतराई रिजर्व फॉरेस्ट
						4	मनु
					अम्बस्सा	1	अम्बासा
					छैलेंगटा	1	मायनामा
						2	गायनामा
						3	घागराछाड़ा
					करमछारा	1	पुरबा मछली
						2	कंचनछारा
						3	नलकता
						4	पश्चिम करमछारा
					सिकारीबारी	1	कंठलबारी
						2	सिकारीबारी
						3	लिराइपारा
					दलुबारी	1	जगन्नाथपुर
						2	रायपासा
						3	कंचनपुर
						4	कमलछारा
						5	कुलाई रिजर्व फॉरेस्ट
						6	कुलाई रिजर्व फॉरेस्ट एक्सटेंशन

[फा. सं. NHIDCL/RO-Agt/W/T/LA/Churaibari-Mungiakami/2026-27/1400]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4029(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Churaibari-Mungiakami section of NH-08 from Km 52.232 to 93.5 under District Dhalai for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of TRIPURA

SCHEDULE

Land acquisition from Churaibari-Mungiakami section of NH-08 from Km 52.232 to 93.5 under District Dhalai in the State of TRIPURA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	ADM & Collector	NH8 KM 52.232 TO KM 93.5	TRIPURA	Dhalai	Manu	1 Karatichhara
						2 Jarulchhara
						3 Longtarai Reserve Forest
						4 Manu
					Ambassa	1 Ambassa
					Chhailengta	1 Maynama
						2 Gaynama
						3 Ghagrachhara
					Karamchhara	1 Purba Machhli
						2 Kanchanchhara
						3 Nalkata
						4 Paschim Karamchhara
					Sikaribari	1 Kanthalbari
						2 Sikaribari
						3 Auliraipara
					Dalubari	1 Jagannathpur

						2	Raipasa
						3	Kanchanpur
						4	Kamalachhara
						5	Kulai Reserve Forest
						6	Kulai Reserve Forest Extension

[F. No. NHIDCL/RO-Agt/W/T/LA/Churaibari-Mungiakami/2026-27/1400]

SHAIKH AMINKHAN, Director